

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक 12(7)वन/2012/पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 07.05.2013

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6.5.13 में क्रम संख्या 36 के कालम संख्या-3 एवं क्रम संख्या-37 के कॉलम संख्या-4 में "सहायक वन संरक्षक, करौली" के स्थान पर "सहायक वन संरक्षक, सपोटरा, करौली" पढा जावे ।

आज्ञा से,




शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 वन मंत्री महोदया ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
- ✓ 4. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव





सहायक वन संरक्षक, करौली - जयपुर

